**लोक शिक्षण संचालनालय**
**मध्यप्रदेश**

क्रमांक/शि.क./अंशदायी पेंशन योजना/2011/ /330 भोपाल, दिनांक 10-6-011

प्रति,

समस्त
संभागीय संयुक्त संचालक
जिला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषयः– संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 1,2,3 से सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में संविलियन किये गये अध्यापकों का पदनाम परिवर्तन एवं अध्यापक संवर्ग हेतु अंशदायी पेशंन योजना अंतर्गत प्रान आवंटन हेतु भरे हुए फार्म भेजने के संबंध में।

अध्यापक संवर्ग हेतु अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत माह अप्रैल 2011 के वेतन देयक में से मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत का कटौत्रा किया जा रहा है। विभिन्न निकायों के अतंर्गत कार्यरत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 1,2,3 से अध्यापक संवर्ग में समय–समय पर नियमानुसार संविलियन कर आदेश जारी किये जाते है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। पोर्टल की मानिटरिंग के दौरान यह देखा गया है कि संविलियन किये गये संविदा शाला शिक्षकों का पदनाम परिवर्तन पोर्टल पर तत्काल नही किया जाता। समय पर पदनाम परिवर्तन नही होने से अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत उन अध्यापकों का अंशदान काटा जाना संभव नही हो सकेगा। अतः समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अध्यापक संवर्ग में संविलियन होते ही संबंधित संविदा शाला शिक्षक का तत्काल पदनाम परिवर्तन करने हेतु पोर्टल पर मांग की जाए एवं संबिंधित जिला शिक्षा अधिकारी पोर्टल पर इसकी स्वीकृति देंगे। तत्पश्चात आहरण एवं संवितरण अधिकारी अध्यापक संवर्ग में संविलियन किये गये अध्यापकों को अंशदायी पेंशन योजना में सम्मिलित करने हेतु प्रान (PRAN) आवंटन फार्म भरवाकर पूर्व निर्देशानुसार संचालनालय में प्रेषित करेंगे।

आहरण एवं संवितरण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वेतन देयक तैयार करने के पूर्व के माह के वेतन देयक को कोषालय देयक क्रमांक इत्यादि की प्रविष्टि कर अनिवार्यतः लाक कर लिया जाए। क्योंकि केवल लाक करे हुए वेतन देयकों में से ही अंशदायी पेंशन योजना के अंशदान की गणना की जाएगी।

इस आदेश का पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाए।

**(अशोक बर्णवाल)**
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक/शि.क./अंशदायी पेंशन योजना/2011/ /331 भोपाल, दिनांक 10-6-011

प्रतिलिपि– 1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।

2. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।

3. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत /जनपद पंचायत मध्यप्रदेश।

6. समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश